राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

F61( ) खा.ले./PAC/CAG/2022-23/नोडल अधिकारी ऑडिट समिति/01432 जयपुर, दिनांक: 30.10.2024

परिपत्र

विषय: जन लेखा समिति की बकाया सिफारिशों की क्रियान्विति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित किये जाने तथा समुचित पर्यवेक्षण बाबत।

वित्त (अंकेक्षण अनुभाग) विभाग द्वारा समय समय पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों तथा जनलेखा समिति की बकाया सिफारिशों के उत्तर/क्रियान्विति विषयक सूचना निर्धारित समयावधि में प्रेषित कराने तथा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट पद स्तर के नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने एवं समिति द्वारा परीक्षण निर्धारित करने पर क्रियान्विति/उत्तर परीक्षण की तिथि से उक्त आदेशों के क्रम में तय की गयी अवधि में भिजवाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए है। उक्त जारी निर्देशों के क्रम में विभाग द्वारा जारी निर्देश निम्नानुसार है:-

1. सी.ए.जी. प्रतिवेदनों के उत्तर/ क्रियान्विति का समय पर प्रस्तुतीकरणः-

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर प्रतिवेदनों के राजस्थान विधानसभा में उपस्थापित किये जाने की तिथि से 3 माह की अवधि में महालेखाकार कार्यालय से संवीक्षा कराकर राजस्थान विधानसभा को आवश्यक रूप से प्रेषित कर दिये जावें। यदि किसी मामले में विशेष परिस्थितिवश निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रेषित किया जाना संभव नहीं हो तो यथासमय समयावधि में वृद्धि करने हेतु सक्षम स्तर से जन लेखा समिति से अनुरोध किया जावे और समिति के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावें।

2. जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों की क्रियान्विति विषयक सूचना :-

जन लेखा समिति की सिफारिशों की पूर्ण कियान्विति विषयक सूचना प्रतिवेदनों के राजस्थान विधानसभा में उपस्थापित किये जाने की तिथि से 6 माह की अवधि में महालेखाकार कार्यालय से संवीक्षा कराकर राजस्थान विधानसभा को आवश्यक रूप से प्रेषित कर दी जावें।

3. अंकेक्षण रिपोर्ट हेतु अनुच्छेदों के चयनित हो जाने के तुरन्त पश्चात् से ही विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकताः-

RajKaj Ref
11475345

Signature valid
Digitally signed by Subir Kumar
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2024.10.30 15:19:59 IST
Reason: Approved

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में जिन अनुच्छेदों को निर्दिष्ट किया जाता है उन पर कार्यवाही सदन में उपस्थापित किये जाने की प्रतीक्षा किये बिना ही महालेखाकार द्वारा चयनित अंकेक्षण अनुच्छेदों के संबंध में अन्तिम मीमों दिया जाता है, उसी समय से विभागाध्यक्षों को उनके संबंध में अनुशासनात्मक / वसूली संबंधी कार्यवाही प्रारम्भ कर देनी चाहिये क्योंकि संबंधित प्रतिवेदनों के राजस्थान विधानसभा में उपस्थापन की प्रतीक्षा करने से बहुत से प्रकरण दीर्घावधि तक लम्बित रहते है। गम्भीर प्रकरणों को विभागाध्यक्ष द्वारा तुरन्त प्रशासनिक सचिव के ध्यान में भी लाया जाना चाहिये।

4. न्यायालय में सरकार पक्ष प्रभावी रूप से रखे जाने की आवश्यकता :-

न्यायालयों में चल रहे विभिन्न विवादों में सरकार के पक्ष को भली-भांति रखा जावे तथा उनकी प्रभावी, पैरवी हेतु अनुभवी एडवोकेट नियुक्त किये जावें, ताकि सरकार के विरूद्ध एकतरफा निर्णय नही हो सके। इसके अतिरिक्त सरकार के विरूद्ध प्राप्त स्थगन के प्रकरणों में स्थगन निरस्त कराने की प्रकिया में भी सुधार किया जावे। विभाग के विरूद्ध लम्बित न्यायिक प्रकरणों का निरन्तर मासिक रिव्यू किया जावें।

5. समिति को संवीक्षित उत्तर परीक्षण से 10 कार्यदिवस पूर्व उपलब्ध कराना :-

समिति द्वारा विभाग की परीक्षणात्मक बैठक निर्धारित कर दिये जाने पर उससे संबधित नवीनतम संवीक्षित उत्तर/क्रियान्विति विषयक सूचनाएं परीक्षण की तिथि से 10 कार्यदिवस पूर्व आवश्यक रूप से जन लेखा समिति, महालेखाकार कार्यालय तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करा दिये जावे।

6. निर्दिष्ट पद स्तर के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति :-

सी.ए.जी प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों के संवीक्षित उत्तर तथा जनलेखा समिति के प्रतिवेदनों में समाविष्ट विभिन्न सिफारिशों के क्रियान्वयन से संबंधित सूचनाएं निर्धारित समयावधि में भिजवाने हेतु प्रशासनिक विभाग (शासन सचिवालय) के स्तर पर संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर अतिरिक्त विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी (Nodal Officers) नियुक्त कर उनके नाम, पदनाम, उनके कार्यालय, आवास एवं मोबाइल नं. आदि की जानकारी जन लेखा समिति, राजस्थान विधानसभा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I/ लेखापरीक्षा-II) तथा वित्त (अंकेक्षण) विभाग को प्रेषित की जावें।

7. समिति की परीक्षणात्मक बैठकों में विभागीय अधिकारियो के पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित होना:-

जनलेखा समिति की परीक्षणात्मक बैठकों में विभाग के अधिकारी पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित होंवे।

8. विभागों द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्युत्तरों को ऑनलाईन भिजवाना :-

राजस्थान विधानसभा (जनलेखा समिति) को प्रेषित किये जाने वाले उत्तर/ कियान्विति विषयक सूचना सुपाठ्य, सुस्पष्ट तथा कम से कम 12 फोन्ट साईज (मंगल फोन्ट) में टंकित की जावें एवं "पेन ड्राइव"

RajKaj Ref
11475345

Signature valid
Digitally signed by Subir Kumar
Designation: Principal Secretary To Government
Date: 2024.10.30 15:19:59 IST
Reason: Approved

में भी प्रेषित की जायें तथा उनके संलग्नक परिशिष्टों पर क्रमवार पृष्ठ संख्या अंकित की जावें एवं पत्र के साथ उत्तर / क्रियान्विति विषयक सूचना व उनके संलग्नक परिशिष्टों से संबंधित सूची (Index) संलग्न की जावें।

लम्बित अंकेक्षण प्रकरणों तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों का रिव्यू कर उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विभाग में विभागीय प्रशासनिक प्रमुख की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जावें, जिसमें विभाग के वित्तीय सलाहकार, उपायुक्त प्रथम, उपायुक्त द्वितीय एवं अन्य विभागीय अधिकारी भी सदस्य होंगे। उक्त कमेटी की प्रत्येक 03 माह में बैठक आयोजित की जावें एवं समस्त आवश्यक प्रकरणों की समीक्षा की जावेगी। साथ ही बैठक के परिणामों मय लंबित समस्त अंकेक्षण प्रकरणों तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को समय समय पर समीक्षा हेतु अवगत कराया जावेगा।

(सुबीर कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. वरिष्ठ उपमहालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार, जयपुर।
2. महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर।
3. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग (अंकेक्षण अनुभाग), जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
6. उपायुक्त प्रथम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
7. उपायुक्त द्वितीय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
8. उपायुक्त (समस्त विभागीय), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
9. उपविधि परामर्शी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
10. सहायक आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
12. सहायक निदेशक सांख्यिकी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
13. उपनिदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
14. समस्त जिला रसद अधिकारी (मुख्यालय स्तर एवं अन्य समस्त)।
15. प्रोग्रामर को ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

प्रमुख शासन सचिव

RajKaj Ref
11475345

Signature valid
Digitally signed by Subir Kumar
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2024.10.30 15:19:59 IST
Reason: Approved